न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –54/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
1. बीजाराम पुत्र हेमाराम 2. हिम्मताराम पुत्र बीजाराम जाति जाट निवासी कांटिया तहसील खींवसर जिला नागौर		1. सरकार जरिये तहसीलदार खींवसर 2. मोहनराम पुत्र हीराराम 3. डांवरराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी कांटिया तहसील खींवसर जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट्स की ओर से वकील श्री पांचाराम चौधरी।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।
3. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री पुरखाराम।

निर्णय दिनांक 15-04-2019

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार, खींवसर द्वारा मुकदमा नम्बर 23/2017 सरकार बनाम मोहनराम, डांवरराम अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.3.2018 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट्स ने मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार खींवसर का निर्णय दिनांक 30.01.2018 की जानकारी प्रार्थी द्वारा नकल मांगने पर दिनांक 06.03.2018 को जो दिनांक 06.03.2018 को मिलने पर प्रथम जानकारी हुई। इससे पूर्व निर्णय की जानकारी प्रार्थी को नही थी। प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का होने से एंव वृद्ध व्यक्ति है। प्रथम जानकारी से अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायसंगत है। प्रार्थीगण पीडित पक्षकार है का कथन करते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर अपील का निर्णय मैरिट में किया जाने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट्स एंव राजपैरोकार ने बहस का विरोध करते हुए अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अपीलान्ट के अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए न्यायहित में अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट्स ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा कांटिया में खसरा नम्बर 1288 की भूमि गैर मुमकिन अंगौर है रेस्पोडेन्टान संख्या 2 मोहनराम व 3 डांवरराम पिता हीराराम जाति जाट निवासी कांटिया द्वारा गैर मुमकिन अंगौर की जमीन पर तारबंदी बाड व पट्टिया रोपकर नाजायज कब्जा काश्त कर राजकीय भूमि को जिसमें से होकर पीडित पक्षकार अपीलांट के खातेदारी का खेत संख्या नम्बर 1388 जिसमें बींजाराम व उनके उतराधिगण की रहवासी ढाणीयां

कलक्टर, नागौर

बनी है मे आने जाने का रास्ता पर अतिक्रमण कर अपने स्वंय के खेत में मिला लिया जाने पर अपीलांट का खेत में वह ढाणियों में आने जाने का रास्ता बंद कर दिया और अंगौर की जमीन मोहनराम व डांवरराम नाजायज अतिक्रमण किया जाने पर पीडित पक्षकार अपीलांटन द्वारा शिकायत करने पर तहसीलदार खींवसर द्वारा धारा 91 आर एल आर एक्ट के तहत् प्रकरण संख्या 325/16 दर्ज किया जिसका निर्णय दिनांक 24.01.2017 को किया जाकर बेदखली व जुर्माना से दण्डित किया मगर मौका पर से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किये जाने पर एंव बंद रास्ता को नहीं खोला जाने पर पीडित पक्षकार द्वारा शिकायत करने पर दुसरी बार अतिक्रमी मोहनराम व डांवरराम के खिलाफ धारा 91 आर एल आर एक्ट में प्रकरण संख्या 23/2017 दर्ज किया तहसीलदार खींवसर द्वारा पश्चात्वृति नोटिस जारी नहीं किये पीडित अपीलांट ने तहसीलदार न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया मगर अपीलांट की सुनवाई नहीं की गई एंव दुसरी बार भी तहसीलदार खींवसर द्वारा अतिक्रमी मोहनराम व डांवराराम को पश्चात्वृति अतिक्रमी मानकर निर्णय बेदखली व जुर्माना से दण्डित किया जाने के कारण बंद रास्ता की जमीन से अतिक्रमण हटाने के कारण अपीलांट अग्रशिव पार्टी होने से मजबुरन अपील पेश की है।

ग्राम कांटिया के खसरा नम्बर 1288 किस्म जमीन गैर मुमकिन अंगौर राजकीय भूमि पर मोहनराम व डांवरराम द्वारा तारबन्दी बाड़ पटिया रोपकर कब्जा काश्त कर एवं पीड़ित पक्षकार का राजकीय भूमि पर से होकर आने जाने का रास्ता बंद किया जाने पर शिकायत दिनांक 20.06.2016 को राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज शिकायत संख्या 0116288662342 की जांच पटवारी हल्का से करवाई गई जो जांच गलत कि होने के कारण बाद में दिनांक 08.12.2016 का खसरा नम्बर 1288 गैर मुमकिन अंगौर 3 बीघा भूमि पर नाजायज कब्जा कर स्वंय के खेत में मिला लिया पर प्रकरण संख्या 325/16 दर्ज किया जिसका निर्णय दिनांक 24.01.2017 को किया जिसमें बेदखली व जुर्माना से मोहनराम व डांवरराम को दण्डित किया गया। अपीलांट शिकायत कर्ता की दुसरी बार शिकायत पर दिनांक 30.08.2017 को तहसीलदार खींवसर द्वारा धारा 91 आर एल आर एक्ट में प्रकरण संख्या 23/17 दर्ज किया दिनांक 19.01.2018 को जिलाधीश महोदय नागौर खीवंसर पधारने पर अपीलांट की शिकायत पर तहसीलदार खींवसर को निर्देश दिये की पश्चात्वृति अतिक्रमणकारी को सिविल सजा से दण्डित किया जावें एंव पीडित का बंद रास्ता खुलवाने के निर्देश दिये मगर जिलाधीश महोदय के निर्देशों की पालना नहीं की जाकर निर्णय दिनांक 30.01.2018 को बेदखली एंव जुर्माना से दण्डित किया जाने का किया जो तहसीलदार खींवसर एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की मिलीभगत प्रतित होती है।

मोहनराम व डांवरराम द्वारा प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 एल आर एक्ट का उपखण्ड अधिकारी खींवसर के समक्ष पेश किया प्रार्थना पत्र संख्या 10/16 दर्ज हुआ। जिसका आदेश दिनांक 18.07.2017 को प्रकरण खारिज किया जाता है का हुआ था। तहसीलदार खींवसर द्वारा दो बार प्रकरण दर्ज कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 नाजायज फायदा पहुंचाने की नियत से निर्णय सिर्फ बेदखली व जुर्माना दण्डित किया जाने से अपील स्वीकार कर सिविल कारावास की सजा मोहनराम व डांवरराम को दी जावें एंव तहसीलदार खींवसर के निर्णय की जांच एंव हल्का पटवारी के जांच रिपोर्ट की भी जांच की जाना न्यायसंगत होने का कथन करते हुऐ वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 मोहनराम व डांवरराम को सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने एवं अंगोर की जमीन से अतिकमण भौतिक रूप से हटाया जाकर बंद रास्ता खुलवाने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित कर तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को भौतिक रूप से बेदखल किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित होने से अब इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया

कलक्टर, नागौर

जाना न्यायोचित नही होने का कथन करते हुऐ अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

वकील श्री पुरखाराम चौधरी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में रास्ता खुला हुआ है। ग्राम कांटिया के हाल खसरा नम्बर 1833/1288 रकबा 7.00 बीघा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत है। हाल खसरा नम्बर 1833/1288 रकबा 07.00 बीघा मूल खसरा नम्बर 1288 से बना है, जो पूर्व में साबिका खसरा नम्बर 802 से बना है। साबिका नक्शा में साबिका खसरा नम्बर 802 का इन्द्राज किया हुआ है। वक्त सेटलमेन्ट, सेटलमेन्ट कर्मचारियों व अधिकारियों की गलती से साबिका खसरा नम्बर 802 हाल खसरा नम्बर 1288 में मिलाकर गै.मु. अंगोर गलत रूप से दर्ज कर दिया गया है। उक्त संबंध में विस्तृत तथ्यों एवं इस्तदुआ के साथ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खींवसर के न्यायालय में वाद विचाराधीन है, एवं उक्त संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर खींवसर द्वारा स्टे भी दिया हुआ होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के विरूद्ध ग्राम कांटिया के खसरा नम्बर 1288 अंगोर भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में पूर्व में प्रकरण संख्या 325/16 सरकार बनाम मोहनराम वगैरह में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खींवसर द्वारा जुर्माना व भौतिक रूप से बेदखली का निर्णय दिनांक 24.01.2017 को पारित किया गया था। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा ग्राम कांटिया के खसरा नम्बर 1288 की 0.06 बीघा गैर मुमकिन अंगोर भूमि अतिक्रमण की रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 23/2017 सरकार बनाम मोहनराम वगैरह दर्ज कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 30.01.2018 से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को अतिक्रमी घोषित कर जुर्माना एवं भौतिक रूप से बेदखली का निर्णय पारित किया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 38/2018 मोहनराम वगैरह बनाम तहसीलदार खींवसर वगैरह दायर की गई, जिसे इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.07.2018 के द्वारा खारिज कर दिया। हस्तगत निर्णय जैर अपील प्रकरण में फर्द बेदखली रिपोर्ट दिनांक 30.01.2018 के के अनुसार अतिक्रमी डांवरराम, मोहनराम पि0 हीराराम कौम जाट का उक्त वादग्रस्त भूमि पर मौके से रूबरू मौतबिरान बेदखल किये जाने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट है। उक्त रिपोर्ट में इस तथ्य का भी उल्लेख है की खसरा नम्बर 1288 व 1833/1288 का राजस्व नक्शा लट्ठा में शुद्धिकरण हेतु वाद दायर है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वादग्रस्त भूमि के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर खींवसर में राजस्व वाद भी विचाराधीन है। उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर अब हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन कि आधार पर अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर